

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छगना पिता गोगा मीणा निवासी मायला पोलिया

बनाम

केसर लाल पिता छोगा मीणा निवासी मायला पोलिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 125/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुवे |
|------------|---|--|
| 09-04-24 | <p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1234/1, 307, 777, 984 कुल किता 04 रकबा 1.0763 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1234/1, 307, 777, 984 कुल किता 04 रकबा 1.0763 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024


समांकरीहर/2024/125/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प.सं. 125 / 2024 अनवान छगना पिता गोगा मीणा निवासी मायला पोलिया ब्रह्म केशर लाल पिता छोगा मीणा निवासी मायला पोलिया, प्रभु लाल पिता कल्याण मीणा निवासी मायला पोलिया, रामेश्वर पिता कल्याण मीणा निवासी मायला पोलिया, पाचू पिता छोगा मीणा निवासी मायला पोलिया, रामनाथ पिता लखमा मीणा निवासी मायला पोलिया, रामदयाल पिता रामचंद्र मीणा निवासी मायला पोलिया, रामसिंह पिता रामनाथ मीणा निवासी मायला पोलिया, मानसिंह पिता लादू मीणा निवासी मायला पोलिया, बाबू पिता लादू मीणा निवासी मायला पोलिया, अण्डी लाल पिता लखमा मीणा निवासी मायला पोलिया, रतिराम पिता लखमा मीणा निवासी मायला पोलिया, सत्यनारायण पिता लखमा मीणा निवासी मायला पोलिया, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1234/1, 307, 777, 984 कुल किता 04 रकबा 1.0763 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


 उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा